

**न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  
2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली (राज0)  
नोटिस**

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा **“कोरोना वायरस” (Novel Corona Virus (COVID-19))** को महामारी घोषित करने के पश्चात, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2021 दिनांक 07.06.2021 की पालना में इस न्यायालय में जमानत, रिमाण्ड जैसे आवश्यक प्रकृति के मामलो की सुनवाई के अलावा आगामी तारीख पेशी हेतु नियत पत्रावलियां उनके सम्मुख अंकित आगामी तारीख पेशी में नियत की जाती है:-


क.सं.	नियत तिथि	आगामी तिथि
1.	09.06.2021	02.07.2021
2.	10.06.2021	03.07.2021
3.	11.06.2021	05.07.2021
4.	14.06.2021	06.07.2021
5.	15.06.2021	07.07.2021
6.	16.06.2021	08.07.2021
7.	17.06.2021	08.07.2021
8.	18.06.2021	08.07.2021
9.	19.06.2021	09.07.2021
10.	21.06.2021	12.07.2021
11.	22.06.2021	13.07.2021
12.	23.06.2021	14.07.2021
13.	24.06.2021	15.07.2021
14.	25.06.2021	16.07.2021
15.	28.06.2021	17.07.2021

sd/-  
विशिष्ट न्यायाधीश,

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली  
दिनांक - 08.06.2021

क्रमांक / 276  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)।
2. अध्यक्ष, जिला बार संघ करौली को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. सिस्टम ऑफिसर करौली को जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. नोटिस बोर्ड, करौली (राज.)।

  
विशिष्ट न्यायाधीश,

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली